सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 110 / 2017 अपील (RCMS-00123/2017)
पेशीयन दिनांक – 04.09.2017
निर्णय दिनांक – 03.07.2018

1. श्री सुरेश पिता सुन्दरलाल पूर्बिया, निवासी स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्री सोहनलाल पिता सुन्दरलाल पूर्बिया, निवासी स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।

– अपीलान्टस्

बनाम

1. नगर परिषद, राजसमन्द जरिये आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द।
2. श्री अर्जुनलाल पिता सोहनलाल कच्छारा, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. श्री श्यामसिंह पिता बसन्त सिंह चौधरी, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. श्री मोहनलाल एचयूएफ पिता श्री चुन्नीलाल मेहता निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द।
5. श्रीमती कोशल्या देवी पत्नी श्यामसिंह चौधरी, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
6. श्रीमती लीलादेवी पत्नी अम्बालाल पालीवाल, निवासी जावद तहसील व जिला राजसमन्द।
7. श्रीमती लता पत्नी अनिल पालीवाल, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री कमलेश चौहान – वकील अपीलान्ट
2. श्रीमती प्रमोदनी बक्षी – वकील रेस्पोडेंट–1
3. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील रेस्पोंडेन्ट–2 से 7

अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द प्रकरण संख्या 38/2014–15 दिनांक 04.05.2017

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द प्रकरण संख्या 38/2014–15 दिनांक 04.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कांकरोली, पटवार हल्का कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द में कृषि भूमि आराजी नम्बर 572 रकबा 11 बिस्वा, 573 रकबा 15 बिस्वा, 574 रकबा 17 बिस्वा, 575 रकबा 15 बिस्वा, 578 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 5, कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 ने कृषि से गैर कृषि में परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी एवं एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द में प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 90–क की कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत आपत्ति पेश की। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि पर अभिधृति अधिकारी निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 04.05.2017 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 से 7 उपस्थित। उभय पक्ष की बहस दिनांक 19.06.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 की बहस दिनांक 27.06.2018 को प्राप्त हुई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 के अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदित भूमि अपीलान्ट की सहखातेदारी की

भूमि है जो अवैध रूप से आवेदक के नाम दर्ज हो गयी है। इस सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द के समक्ष वाद व अपील विचाराधीन है। राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज हुआ है, जिस हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम से भूमि को गलत रूप से उसे सुनवाई का अवसर दिये बगैर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1733 दिनांक 05.02.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे स्वीकार कर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड किया। आप न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर, राजसमन्द को रिमाण्ड किया गया, इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। भूमि में अपीलान्ट का हित निहित है तथा मौके पर काबिज है, अतः धारा 90–क की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त आपत्ति के बाद भी अपीलान्ट को नहीं सुना गया तथा तहसीलदार से मिलीभगत कर वहा से सहमति/आक्षेप का जवाब प्रस्तुत करवा दिया गया। अपीलान्ट की आपत्ति का निस्तारण किये बगैर उक्त की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के विपरित है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के पिता सुन्दरलालजी द्वारा दिनांक 14.02.1972 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गई और उनके नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें अपीलान्ट का हक निहित है। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 ने उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी गलत एवं अवैध रूप से भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा दी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सिविल जज, कनिष्ठ खण्ड राजसमन्द में प्रकरण संख्या 82/2014 ई.दी. व 92/2014 मु.दी. बअनवान सुरेशचन्द्र बनाम नगर परिषद, राजसमन्द राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द, तहसीलदार, राजसमन्द के विरूद्ध वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में स्वयं नगर परिषद व राज्य सरकार पक्षकार होते हुए भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करना न केवल तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 व 7 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया जिसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय

प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द पारित आदेश दिनांक 04.05.2017 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में बताया कि आवेदक द्वारा 90–ए की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया। आवेदित भूमि पर विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के सम्बन्ध में जानकारी लेकर जिससे किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने से नियमानुसार सभी दस्तावेजों को अवलोकन कर धारा 90–ए में विचाराधीन आदेश दिनांक 04.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2016 का अध्ययन कर पारित किया गया। तहसीलदार, राजसमन्द की सहमति रिपोर्ट, राजस्व रेकार्ड, विभागीय स्वीकृति एवं निदेशालय परिषद् के मार्गशन, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2016 के आधार पर धारा 90–ए की कार्यवाही का आदेश नियमानुसार दिनांक 04.05.2017 को जारी किया जो पूर्णतया न्यायोचित है जिससे अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस मय लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा अखबार में प्रकाशन के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की और रेस्पोडेंट संख्या–1 को प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वाद एवं अपील के सम्बन्ध में अवगत कराया गया और प्रतियां उपलब्ध कराई। अपीलान्ट ने विचाराधीन अपील में कथन किया कि उक्त आवेदित भूमि अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि होने से अवैध रूप से आवेदक के नाम दर्ज हो गयी है। इस सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द के समक्ष वाद व अपील विचाराधीन है। राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज हुआ है, जिस हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट के नाम से भूमि को गलत रूप से उसे सुनवाई का अवसर दिये बगैर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1733 दिनांक 05.02.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे स्वीकार कर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड किया। आप न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला राजसमन्द को रिमाण्ड किया गया, इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 04.05.2017 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए एवं विभिन्न

न्यायालयों में चल रहे वादों की स्थिति पर विचार करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द का आदेश दिनांक 04.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण एवं विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की स्थिति पर विचार करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 03.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर